कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15870/2019 श्रीमती साधना पाण्डेय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 18.10.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/साधना पाण्डेय/15870/2019 दिनांकः 18.11.2019 द्वारा श्रीमती साधना पाण्डेय, प्रधानाचार्य को राउमावि रातानाडा जिला जोधपुर में एवं दोहरे पदस्थापन के निराकरण हेतु श्रीमती दुर्गा सोलंकी को राउमावि लोरडियां जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

श्रीमती दुर्गा सोलंकी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 17743/2019 दुर्गा सोलंकी बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 12.02.2020 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांकः 18.11.2019 को जारी रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती दुर्गा सोलंकी को निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के समक्ष दो सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में निजी प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा याचिकार्थी को जोधपुर अथवा उसके आस–पास पदस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी श्रीमती दुर्गा सोलंकी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन जोधपुर जिले में राउमावि बलदेव नगर/राबाउमावि माता का थान/राउमावि बासनी स्टेशन/राउमावि पाल/राउमावि मेहलों की ढाणी अथवा रा. अल्प भाषा उमावि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीमती दुर्गा सोलंकी, प्रधानाचार्य राउमावि लोरडिया जिला जोधपुर का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल (PAL), लूणी जिला जोधपुर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्रीमती दुर्गा सोलंकी, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की तत्काल पालना कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/दुर्गा सोलंकी/याचिका/17743/332/2019 दिनांकः 03.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती दुर्गा सोलंकी, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner